

राजस्थान सरकार  
वित्त (एस.पी. एफ.सी. ) विभाग

क्रमांक: एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011

जयपुर, दिनांक : 21/12/2016  
परिपत्र संख्या ...2../2016

परिपत्र

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 के अन्तर्गत प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील प्रस्तुत करने हेतु विषद प्रावधान दिए हुए है। इस क्रम में प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारियों के निर्धारण के संबंध में वित्त (G&T) विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 04.02.2013 जारी किया गया था।

कतिपय मामलों में यह वित्त विभाग के ध्यान में आया है कि उक्त धारा 38 के अन्तर्गत बोली दस्तावेजों में प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को निर्धारण करने के पश्चात् यदि प्रशासनिक कारणों से प्रथम अथवा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी हेतु विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का पद समाप्त हो जाता है अथवा वह पद रिक्त हो जाता है और किसी अन्य अधिकारी के पास उक्त रिक्त पद का कार्यभार नहीं रहता है, ऐसी स्थितियों में अपीलीय अधिकारी के पुनः निर्धारण की समस्या उत्पन्न हो जाती है।


अतः उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश प्रसारित किए जाते हैं कि किसी भी अपीलीय प्राधिकारी का पद रिक्त होने एवं अन्य किसी के पास अतिरिक्त कार्यभार नहीं होने की स्थिति में अथवा अपीलीय प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट अधिकारी का पद समाप्त होने की स्थिति में उपापन संस्था का यह दायित्व होगा कि वह तत्काल सक्षम अनुमोदन प्राप्त कर प्रथम अथवा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, का निर्धारण करेगी और उसका शुद्धिपत्र के रूप में राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रदर्शित भी करेगी।

यदि किसी उपापन प्रक्रिया में प्रथम अथवा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी प्रशासनिक विभाग विनिर्दिष्ट हैं तो उक्तानुसार पद समाप्ति होने अथवा बिना अतिरिक्त कार्यभार के रिक्त होने की स्थिति में शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग ऐसे मामलों में प्रशासनिक विभाग के स्थान पर प्रथम अथवा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, होंगे।

यदि ऐसी किसी परिस्थिति में शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट होते हैं तो ऐसे प्रकरणों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी राज्य सरकार द्वारा पृथक से विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।


वित्त (G&T) विभाग के पूर्व परिपत्र दिनांक 04.02.2013 के क्रम में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे समस्त प्रकरणों में जिनमें वित्त विभाग को प्रथम अथवा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी विनिर्दिष्ट किया जाना हो, उनमें शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग ही प्रथम/द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी नामित होंगे।

यह परिपत्र प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग के अनुमोदनोपरांत जारी किया जाता है।

  
(रामावतार शर्मा)  
संयुक्त शासन सचिव  
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अति. मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ।
7. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
8. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
9. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
11. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
12. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर । 13. समस्त कोषाधिकारी
14. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
15. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
16. अतिरिक्त निदेशक, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि वित्त (समन्वय) विभाग के आदेश संख्या प.17 (1) वित्त (समन्वय)/04 दिनांक 22.6.2004 के क्रम में इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

  
संयुक्त शासन सचिव  
वित्त (जीएण्डटी) विभाग